[2023] 14 एस. सी. आर **199:2023** आई. एन. एस. सी **979**

मुकदमों का विवरण

जयोतिरमे रे

बनाम

क्षेत्रीय सामान्य प्रबंधक, पंजाब राष्ट्रीय बैंक और ओआरएस।

(2015 की सिविल अपील संख्या 6611)

नवंबर 06,2023

[जे. के. माहेश्वरी और के. वी. विश्वनाथन, जे. जे.**]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि के योगदान को अस्वीकार करना और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के कारण कर्मचारी-अपीलार्थी को उपदान का भुगतान न करना, जैसा कि आक्षेपित आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है, न्यायसंगत है।

सेवा विधि -सेवानिवृत्ति लाभ-भविष्य निधि (नियोक्ता का योगदान) और ग्रेच्युटी का भुगतान-जब्त करना-अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा रिट याचिका, छुट्टी नकदीकरण, भविष्य निधि (नियोक्ता का योगदान), ग्रेच्युटी और पेंशन के लाभ से इनकार को चुनौती देना-बैंक की याचिका कि ऋण देने और नकद क्रेडिट सुविधाओं में अनियमितताओं के कारण बैंक को नुकसान हुआ-एकल न्यायाधीश ने बैंक को भविष्य निधि (नियोक्ता का योगदान) के साथ-साथ ब्याज और छुट्टी नकदीकरण के साथ ग्रेच्युटी जारी करने का निर्देश दिया, हालांकि पेंशन के लाभ से इनकार कर दिया-डिवीजन बेंच ने छुट्टी नकदीकरण के आदेश को बनाए रखा, लेकिन भविष्य निधि के अनुदान को रद्द कर दिया।

आयोजित किया गयाःन्यायसंगत नहीं-आरोप-पत्र में किसी भी आरोप की अनुपस्थिति कि प्रबंधक के कार्य से बैंक को नुकसान हुआ और न ही नुकसान की राशि का परिमाण निर्धारित किया गया-निदेशक मंडल ने अपीलकर्ता के भविष्य निधि खाते से बैंक के योगदान के विनियोग का संकल्प पारित करने से पहले, बैंक को नुकसान या नुकसान पहुंचाने के मुद्दे पर अपीलकर्ता को कोई अवसर नहीं दिया-एकल न्यायाधीश द्वारा बैंक के भविष्य निधि के योगदान के भुगतान के संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष 200

न्यायनिर्णय गत, न्यायनिर्णय गत और बरकरार रखा जाता है-जहां तक ग्रेच्युटी की बरामदगी का निर्णय बंध है, तत्काल मामला अपीलार्थी के दंगापूर्ण व्यवहार या किसी आपराधिक मामले में उसकी निर्णय लिप्तता का मामला नहीं है-जांच रिपोर्ट में नियोक्ता के भविष्य निधि के योगदान की बरामदगी के मुद्दे पर विचार करते समय, बैंक को नुकसान पहुंचाने या नुकसान की राशि की मात्रा दर्ज करने के निर्णय बंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है-नुकसान की मात्रा जांच में साबित नहीं हुई है-अन्यथा भी, ग्रेच्युटी की बरामदगी का आदेश पारित करने से पहले, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है-तत्काल मामले में ग्रेच्युटी की बरामदगी के अधिनियम की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि इसके पहलू पर प्रावधान मौन हैं।आर. 13.[पारस 12,13,17,22,23 और 25-27]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

यूको बैंक और अन्य बनाम अंजू माथुर ने एल. पी. ए. में 07.03.2013 का फैसला किया।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2012 का सं. 566-अनुमोदित।

बीआर. शर्मा बनाम। सिंडिकेट बैंक और अन्य, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 13989; केनरा बैंक और एक अन्य बनाम ललित पोपली (मृत) कानूनी माध्यम से

प्रतिनिधि (2018) 11 एस. सी. सी. 87-प्रतिष्ठित।

वाई. के. सिंगला बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य (2013) 3 एस. सी. सी. 472: [2013 3 एस. सी. आर. 1189; शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य

(1984) 4 एससीसी 116:[1984] 4 एस. सी. आर. 88; थुलिया काली बनाम। तमिलनाडु राज्य 1972 (3) एस. सी. सी. 393:[1972] 3 एस. सी. आर. 622; सम्राट बनाम ख्वाजा

नजीर अहमद ए. आई. आर. 1945 पी. सी. 18; एप्रन जोसेफ उर्फ वर्तमान कुंजुकुंजू और

ओआरएस। बनाम केरल राज्य 1973 (3) एस. सी. सी. 114:[1973] 2 एससीआर 16; रविंदर

कुमार और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य 2001 (7) एस. सी. सी. 690:[2001] 7 एससीआर

463 – संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2015 की सिविल अपील No.6611।

ज्योतिर्मय राय बनाम फील्ड जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक 202

2012 के ए. पी. ओ. No.284 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.12.2012 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

इरशाद अहमद, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

राजेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, समीर मुद्गल, सुमित शर्मा, सुश्री अनानी अचुमी, दिनेश शर्मा, सुश्री शिवानी सागर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

जे. के. माहेश्वरी, जे.

1. अपीलार्थी, जो अनिवार्य रूप से वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था, को पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा अवकाश नकदीकरण, भविष्य निधि, उपदान और पेंशन में नियोक्ता के योगदान के लाभ से वंचित कर दिया गया था। अधिकारियों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने पर, फि लिंग द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई।उक्त रिट याचिका को बैंक द्वारा यह याचिका लेते हुए चुनौती दी गई थी कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना (संक्षेप में "सी. जी. टी. एम. एस. ई".) के अंतर्गत ऋण देने और नकद ऋण सुविधाओं में अनियमितताओं के कारण और अन्यथा नियमित ऋणों में, बैंक को नुकसान हुआ था।

2. पृष्ठभूमि तथ्य यह था कि पहले, अपीलार्थी पर 16.10.2009 पर आरोप पत्र दायर किया गया था और 20.11.2009 पर पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया था।अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर, विभागीय जांच की गई और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दिनांक 2 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसने उसे दोषी पाया और दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना लगाया गया।अपीलार्थी के नेतृत्व में दायर अपील को भी 28.07.2010 पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था।3. अपीलार्थी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती नहीं दी और केवल अंतिम लाभ यानी छुट्टी नकदीकरण, भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान, उपदान और पेंशन का दावा किया।इस बीच, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपीलार्थी के नेतृत्व में समीक्षा याचिका को भी 06.01.2011 पर खारिज कर दिया गया था।विचाराधीनता के दौरान

/

[2023] 14 एस सी आर।

रिट याचिका में, बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांकित 20.12.2010 के प्रस्ताव के माध्यम से नियोक्ता के भविष्य निधि के योगदान को देने से इनकार कर दिया। 8,80,085-अपीलार्थी को।ज्ञात एकल न्यायाधीश ने दिनांक 03.04.2012 के आदेश के माध्यम से उक्त रिट

याचिका को आंशिक रूप से अनुज्ञात और बैंक को भविष्य निधि के नियोक्ता के योगदान के साथ-साथ 8.8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और पंजाब नेशनल बैंक (ऑफ़िसर) सेवा विनियम, 1979 (संक्षेप में "1979 विनियम") के विनियम 38 के संदर्भ में छुट्टी नकदीकरण जारी करने का निर्देश दिया।यह भी स्पष्ट किया गया कि बकाया राशि की गणना अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से की जाए और संचार की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर जारी की जाए।विद्वान एकल न्यायाधीश ने पेंशन के लाभ से इनकार कर दिया क्योंकि जब पेंशन व्यवस्था में स्थानांतरित करने की योजना चालू हुई तो अपीलार्थी सेवा में उम्मीदवार नहीं था।4. बैंक द्वारा विशेष अपील के संबंध में, खंड पीठ ने छुट्टी नकदीकरण के अनुदान के आदेश को आंशिक रूप से बनाए रखते हुए अनुज्ञात , लेकिन भविष्य निधि (बैंक के योगदान) और उपदान के अनुदान को इस बहाने से निर्धारित किया कि अपीलार्थी के एक कार्य से बैंक को नुकसान हुआ है।

5. पूर्वगामी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को छुट्टी भुनाने का अनुदान अब एकीकृत नहीं है।अपीलार्थी पेंशन देने से इनकार करने को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि वह योजना परिवर्तन के समय सेवा में उम्मीदवार नहीं था।एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या नियोक्ता के भविष्य निधि के योगदान से इनकार और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के कारण अपीलार्थी को उपदान का भुगतान न करना, जैसा कि आक्षेपित आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है, न्यायसंगत है या नहीं?

6. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री इरशाद अहमद का तर्क है कि पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट रूल्स (संक्षेप में "पी. एफ. ट्रस्ट रूल्स") का नियम 13 बैंक को किसी भी नुकसान, हर्जाने और देनदारियों की वसूली के लिए उसके द्वारा किए गए योगदान पर पहला ग्रहणाधिकार देता है, जिसे बैंक किसी भी समय भविष्य निधि के सदस्य द्वारा किसी भी बेईमान कार्य, विलेख या चूक या घोर कदाचार के कारण बनाए रख सकता है या वहन कर सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्य आरोप पत्र या पूरक आरोप पत्र में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि योजना के अंतर्गत या अन्य ऋणों में ऋण देने के कारण बैंक को कोई नुकसान हुआ है।जांच की रिपोर्ट में बैंक को हुए नुकसान की जानकारी दर्ज नहीं की गई है।

विद्वान वकील का तर्क है कि निदेशक मंडल ने एकतरफा रूप से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा हस्तक्षेप करना सही है।

7. विद्वान वकील का तर्क है कि उन तथ्यों को पलटते हुए, खंड पीठ ने कोई ठोस कारण नहीं दिया है या इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं की है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक, कार्मिक प्रभाग, प्रमुख कार्यालय, नई दिल्ली ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (संक्षेप में "ग्रेच्युटी अधिनियम") के प्रावधानों और 1979 के विनियमों के अंतर्गत

भुगतान के उचित संदर्भ में 16/01/1997 पर परिपत्र संख्या 1563 जारी किया।उक्त परिपत्र के खंड 14 (1) (ए) के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि किसी अधिकारी को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा की समाप्ति पर उपदान देय है।यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त समाप्ति बर्खास्तगी या निष्कासन के रूप में सजा के रूप में नहीं होनी चाहिए।विद्वान एकल न्यायाधीश ने ठीक ही कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1977 (संक्षेप में "1977 विनियम") के विनियम 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी आम तौर पर भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य होगी, जबकि सेवा से हटाना भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य नहीं होगा।यह भी कहा गया है कि जाँच में अपीलार्थी द्वारा नुकसान पहुँचाने या नुकसान पहुँचाने की कोई गंभीर परिस्थिति दर्ज नहीं की गई है।नुकसान या क्षति का कोई परिमाण निर्धारण नहीं था।यह आग्रह किया जाता है कि जांच के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जुर्माने को बढ़ाने पर, आईपीएसओ फैक्टो के परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश द्वारा निर्देशित ग्रेच्युटी को जब्त नहीं किया जाएगा।अन्यथा भी उपदान की बरामदगी एक कर्मचारी के नागरिक अधिकार को प्रभावित करती है जिसका प्रतिकूल परिणाम होता है जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में निर्देशित नहीं किया जा सकता है।8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी बैंक के विद्वान वकील श्री राजेश कुमार गौतम ने डिवीजन बेंच द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में दर्ज तथ्यों के समर्थन में तर्क दिया और तर्क दिया कि किसी कर्मचारी की सामान्य सेवानिवृत्ति को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बराबर नहीं माना जा सकता है।इसलिए, प्रोविडेंट फंड के लिए ग्रेच्युटी और बैंक के योगदान को आक्षेपित आदेश द्वारा उचित रूप से रोक दिया गया है। उनके तर्क के समर्थन में, यूको बैंक और अन्य बनाम 2012 के एल. पी. ए. संख्या 566 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया है। अंजू माथुर ने 07.03.2013 पर फैसला किया।यह आग्रह किया जाता है कि उक्त निर्णय का दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हवाला दिया गया और उस पर भरोसा किया गया

बी. आर. शर्मा बनाम। सिंडिकेट बैंक और अन्य, 2015 एससीसी ऑनलाइन डेल

/

[2023] 14 एस सी आर।

13989. विद्वान वकील ने भी इस निर्णय पर भरोसा किया है।

केनरा बैंक में न्यायालय और एक अन्य बनाम ललित पोपली (मृत) कानूनी माध्यम से

प्रतिनिधि (2018) 11 एससीसी 87। 9.हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।भविष्य निधि (बैंक के योगदान) के भुगतान के मुद्दे और उपदान के भुगतान और इसकी ज़ब्ती का विश्लेषण अधिनियम, नियमों, विनियमों और समय-समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रों के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है।उन पर बाद के उपशीर्षक और अनुच्छेदों में विचार किया जा रहा है।

प्रोविडेंट फंड का अनुदान और इसे कब दिया जा सकता हैः

10. 1979 के विनियमों का अध्याय IX अंतिम लाभों से संबंधित है।विनियमन 45 (1) के अनुसार, प्रत्येक अधिकारी बैंक द्वारा गठित भविष्य निधि का सदस्य बन जाएगा और ऐसी निधि को नियंत्रित करने वाले नियमों से बाध्य होगा।इस तरह के कोष को नियंत्रित करने वाले नियमों को पी. एफ. ट्रस्ट नियमों के रूप में जाना जाता है।न्यास नियमों के नियम 2 के अनुसार, कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान भविष्य निधि न्यास खाते में जमा किया जाएगा, जो एक अंशदायी भविष्य निधि होगी।नियम 13 और 14 जिनके बारे में इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं और इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

"13. बैंक के पास किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत खाते में उसके द्वारा किए गए योगदान पर ब्याज या उसमें वृद्धि के साथ पहले ग्रहणाधिकार होगा, ताकि किसी भी नुकसान, क्षति और देनदारियों की वसूली की जा सके जो बैंक किसी भी समय किसी भी बेईमान कार्य, विलेख या चूक या ऐसे सदस्य द्वारा या उसके द्वारा किए गए घोर कदाचार के कारणों से कर सकता है।14. यदि ऊपर दिए गए नियम संख्या 13 के अनुसार बैंक का पहला ग्रहणाधिकार होगा, तो न्यासी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्राप्ति पर कोष में ऐसे सदस्य के व्यक्तिगत खाते में से बैंक को भुगतान करेंगे, जिसका ऐसा हिस्सा उसमें बैंक के योगदान से अधिक नहीं होगा, जैसा कि बोर्ड न्यासियों को भुगतान करने के लिए कह सकता है और इस तरह किए गए किसी भी भुगतान के लिए बैंक की रसीद न्यासियों को पूरी तरह से भुगतान होगी।इस तरह के किसी भी भुगतान की स्थिति में, भविष्य निधि शेष राशि में से शेष राशि का भुगतान उसे किया जाएगा।बैंक द्वारा ऐसे नुकसान की वसूली केवल ऐसे वित्तीय नुकसान की सीमा तक सीमित होगी। "

गौर करने पर, यह स्पष्ट है कि बैंक के पास किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत खाते में किए गए योगदान पर ब्याज या उसमें वृद्धि के साथ पहले ग्रहणाधिकार होगा, ताकि बैंक द्वारा किसी भी समय किए गए किसी भी नुकसान, क्षति और देनदारियों की वसूली की जा सके या सदस्य के किसी भी बेईमान कार्य, विलेख या चूक या घोर कदाचार के कारणों से किया जा सके।यह आगे स्पष्ट है कि निदेशक मंडल नुकसान, क्षति और देनदारियों की वसूली की सीमा तक बैंक को निधि के खाते में बैंक के योगदान का भुगतान करने का आदेश पारित करेगा।

11.आइए हम उक्त नियमों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर दिनांकित 16.10.2009 के आरोप पत्र और दिनांकित 20.11.2009 के पूरक आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में लागू करें ताकि सामने आने वाली स्थिति पर विचार किया जा सके।

12. यह आरोप लगाया गया था कि ऋण देते समय या सी. जी. टी. एम. एस. ई. के अंतर्गत नकद ऋण सुविधाओं का विस्तार करते समय या अन्यथा, अपीलार्थी द्वारा प्रक्रिया के उचित

परिश्रम का पालन नहीं किया गया था।आरोप-पत्र में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि इस तरह के कार्य से बैंक को पर्याप्त नुकसान हुआ है और न ही नुकसान की राशि का परिमाण निर्धारित किया गया है।जांच की रिपोर्ट में नुकसान के बारे में जानकारी या नुकसान की राशि का परिमाण दर्ज नहीं किया गया है।प्रोविडेंट फंड में बैंक के योगदान को निदेशक मंडल के संकल्प दिनांक 20/12/2010 के अनुसार जब्त कर लिया गया था, जो कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट दिनांक 19/11/2010 के संचार पर आधारित था।उक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि बैंक को एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 77.59 अपीलार्थी के एक अधिनियम द्वारा लाखों जिसके लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना निर्देशित किया गया है। हालांकि, बैंक के भविष्य निधि के योगदान के विनियोग के लिए सिफारिशें की गई थीं। 8,80,085-और इसे अपीलार्थी के भविष्य निधि खाते से रोक दिया गया था।इस अपील को दर्ज करते हुए, अपीलार्थी ने आंतरिक लेखा परीक्षक की दिनांक 27/7/2009 (अनुलग्नक पी-1) की रिपोर्ट को स्वीकार किया और प्रस्तुत किया।उक्त रिपोर्ट आरोप पत्र जारी होने की तारीख से पूर्व तिथि की थी।हालांकि, उक्त रिपोर्ट के आधार पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है।यह तर्क दिया जाता है कि आरोप पत्र में नुकसान के बारे में कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया है।

13. इस अपील के प्रतिवाद में यह कहा गया है कि रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-1) उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी और अतिरिक्त साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन के बिना, इसे इस न्यायालय द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है।काउंटर के कथनों के अवलोकन पर

/

[2023] 14 एस सी आर।

साथ ही, उत्तरदाताओं द्वारा रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-1) के अस्तित्व से इनकार नहीं किया गया है।जाँच रिपोर्ट के समापन में हुए नुकसान की मात्रा दर्ज नहीं की गई है।निदेशक मंडल का संकल्प दिनांक 20/12/2010 अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड के आदेश के बाद है।इस प्रकार, आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार आरोप पत्र से पहले, बैंक को नुकसान की सूचना नहीं दी गई है।संभवतः, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप-पत्र में उल्लिखित कारणों से, नुकसान करने और नुकसान की राशि की मात्रा निर्धारित करने के आरोपों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।निदेशक मंडल ने सूचना के आधार पर एकतरफा रूप से प्रस्ताव पारित किया जिसमें रुपये के नुकसान का आरोप लगाया गया। 77.59 लाख।प्रस्ताव पारित करने से पहले, अपीलार्थी को जवाब और अवसर मांगने का नोटिस नहीं दिया गया था।चर्चा किए गए तथ्यों में, नियोक्ता के भविष्य निधि के योगदान के भुगतान के लाभ से इनकार करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा एकतरफा रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।मामले के इस दृष्टिकोण में, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह कहना सही था कि निदेशक मंडल ने अपीलकर्ता के भविष्य निधि खाते से बैंक के योगदान के विनियोग का संकल्प पारित करने

से पहले, बैंक को नुकसान या नुकसान पहुंचाने के मुद्दे पर अपीलकर्ता को कोई अवसर नहीं दिया है।इसके अलावा, नुकसान की मात्रात्मक राशि के बारे में आरोप पत्र में किसी भी आरोप के अभाव में, उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया तर्क किसी भी योग्यता से रहित है। उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक के भविष्य निधि के योगदान के भुगतान के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निर्णय न्यायसंगत, न्यायसंगत हैं और डिवीजन बेंच के निर्णयों अपास्त करते हुए ते हुए बरकरार रखे जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

अनुग्रह राशि का भुगतान और इसे कब रखा जा सकता हैः

14. 1979 के विनियमों के अध्याय IX का विनियम 46 उपदान से संबंधित है।उक्त विनियम का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

"46. ग्रेच्युटीः

46.(1) प्रत्येक अधिकारी निम्नलिखित पर उपदान के लिए पात्र होगाः(क) सेवानिवृत्ति

(ख) मृत्यु

ग) बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित के रूप में आगे की सेवा के लिए अक्षम होना।

घ) दस साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद इस्तीफा देना; या 207

ई) 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सजा के अलावा किसी अन्य तरीके से सेवा की समाप्ति।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक का एक अधिकारी सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के लिए पात्र होगा; मृत्यु; किसी अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित के रूप में अक्षम होने पर अक्षम होना; 10 साल की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद इस्तीफा देना या 10 साल की सेवा समाप्त करना, सिवाय किसी मामले के यदि ऐसी समाप्ति दंड के रूप में है।हालाँकि, उक्त विनियम इस आकस्मिकता पर चुप हैं कि यदि किसी अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड का सामना करना पड़ता है तो क्या होगा।

16. इसके अलावा यदि हम ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4 को देखते हैं, तो यह किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं की समाप्ति पर ग्रेच्युटी के भुगतान की शर्तों को स्पष्ट करता है। विशेष रूप से, धारा 4 की उप-धारा (6) उन शर्तों पर प्रकाश डालती है जब किसी कर्मचारी को उसकी समाप्ति पर ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है।संबंधित भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

(6) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी -

(क) एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी, जिसकी सेवाओं को किसी भी कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है, जानबूझकर चूक या लापरवाही से नियोक्ता की संपत्ति को कोई नुकसान या नुकसान या विनाश होता है, इस तरह से हुई क्षति या नुकसान की सीमा तक जब्त कर लिया जाएगा;

(ख) किसी कर्मचारी को देय उपदान पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा-(i) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को उसके दंगापूर्ण या अव्यवस्थित आचरण या उसकी ओर से हिंसा के किसी अन्य कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है, या (ii) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को किसी ऐसे कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का गठन करता है, बशर्ते कि ऐसा अपराध उसके द्वारा अपने रोजगार के दौरान किया गया हो।
17. ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रेच्युटी को जब्त करने का निर्देश नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान या नुकसान या विनाश की सीमा तक दिया जा सकता है।दोहरी स्थितियों में जहां बर्खास्तगी नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक मामले में कर्मचारी के दंगापूर्ण या अव्यवस्थित आचरण या संलिप्तता के कारण होती है, उपदान पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा।

18. यह न्यायालय वाई. के. सिंगला बनाम के मामले में है। पंजाब नेशनल बैंक

और अन्य (2013) 3 एस. सी. सी. 472 पर ब्याज के मुद्दे पर विचार करते हुए

/

[2023] 14 एस सी आर।

पंजाब नेशनल बैंक के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान में कहा गया कि ग्रेच्युटी अधिनियम का भुगतान पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (संक्षेप में "1995 पेंशन विनियम") पर हावी हो जाएगा।विनियमन 46 के अंतर्गत ग्रेच्युटी से वसूली या उक्त विनियमों के विनियम 46 (2) के अंतर्गत पेंशन को रोकने के मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 22 में, ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 14 का उल्लेख करने के बाद, निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

“22. यह निर्धारित करने के लिए कि अपीलार्थी के दावे का निर्धारण करने के लिए दो प्रावधानों (ग्रेच्युटी अधिनियम, या 1995 विनियम) में से कौन सा लागू होगा, ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 14 का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जिसे इसके तहत निकाला जा रहा हैः-

“14. अन्य अधिनियमों आदि को ओवरराइड करने के लिए अधिनियम-प्रावधान

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का प्रभाव इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी लिखत या अनुबंध में निहित कुछ भी असंगत होने के

बावजूद प्रभावी होगा।इसलिए, जहां तक ग्रेच्युटी के लिए एक कर्मचारी की पात्रता का संबंध है, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी को ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित नहीं किया जाता है, विधायिका को अन्य सभी प्रावधानों/अधिनियमों (कानून के बल वाले किसी भी साधन या अनुबंध सहित) पर ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों के लिए निहित श्रेष्ठता है, ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"लिखत" शब्द और वाक्यांश "कानून के बल वाले लिखत या अनुबंध" को सबसे अधिक निश्चित रूप से 1995 के विनियमों को शामिल माना जाएगा, जो अपीलार्थी को उपदान के भुगतान को विनियमित करते हैं। "

19. उपरोक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधान विनियमों के अन्य सभी प्रावधानों पर श्रेष्ठता रखते हैं।20. बैंक ने 1979 के विनियम 46 और ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों को सुसंगत बनाते हुए 16.01.1997 209 पर परिपत्र संख्या 1563 जारी किया।

ज्योतिर्मय राय बनाम फील्ड जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक [जे. के. माहेश्वरी, जे.] 210

अपने कार्मिक विभाजन के माध्यम से।उसमें उपदान अधिनियम के प्रावधानों और परिपत्र के खंड 8 और 14 के साथ विनियमों को सुसंगत बनाते हुए, उपदान को कब जब्त किया जा सकता है, इसके उदाहरणों को निर्दिष्ट किया गया है।वे खंड प्रासंगिक हैं और निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“8. अधिनियम के अंतर्गत कृतज्ञता का संरक्षण

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत देय ग्रेच्युटी, अलग-अलग परिस्थितियों में पूर्ण या आंशिक रूप से ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है।ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4 (1) ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित है जबकि अधिनियम की धारा 4 (6) ग्रेच्युटी की जब्ती से संबंधित है।धारा 4 (1) निम्नानुसार है:

कम से कम पांच वर्षों तक निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद कर्मचारी को उसकी नौकरी की समाप्ति पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।

ए। उनकी सेवानिवृत्ति पर, या

बी। उसकी सेवानिवृत्ति या इस्तीफे पर, या

ग. दुर्घटना या बीमारी के कारण उसकी मृत्यु या अक्षमता पर।बशर्ते कि पांच वर्षों की निरंतर सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा जहां किसी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता के कारण नौकरी समाप्त हो जाती है।

धारा 4 (6) निम्नलिखित प्रावधान करती है:

“उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी

ए। एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी, जिसकी सेवाओं को किसी भी कार्य, जानबूझकर चूक या लापरवाही के कारण कर्मचारी की संपत्ति को कोई नुकसान या नुकसान या विनाश के लिए समाप्त कर दिया गया है, इस तरह से हुई क्षति या नुकसान की सीमा तक जब्त कर लिया जाएगाः

बी। किसी कर्मचारी को देय उपदान पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है।

I) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को उसके हिंसक या अव्यवस्थित आचरण या उसकी ओर से हिंसा के किसी अन्य कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है, या

/

[2023] 14 एस सी आर।

II) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को किसी ऐसे कार्य के लिए समाप्त कर दिया गया है जो नैतिक अधमता से संबंधित है, बशर्ते कि ऐसा कार्य उसके द्वारा अपने रोजगार के दौरान किया गया हो।

14. कार्यालय सेवा विनियमों के अंतर्गत भुगतान

पीएनबी ऑफिसर्स सर्विस रेगुलेशन, 1979 के रेगुलेशन 46 के अंतर्गत ऑफिसर्स कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित नियम निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैंः-

(I) प्रत्येक अधिकारी निम्नलिखित पर उपदान के लिए पात्र होगाः

(क) सेवानिवृत्ति, (ख) मृत्यु (ग) बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित के रूप में आगे की सेवा के लिए अक्षम होना, या (घ) दस साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद या 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सजा के अलावा किसी अन्य तरीके से सेवा समाप्त करने के बाद इस्तीफा देना।

व्याख्याःहमें यह स्पष्ट करना होगा कि सेवा की समाप्ति के मामले में ग्रेच्युटी का भुगतान इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि अधिकारी ने बैंक के साथ कम से कम 10 साल की सेवा की है और बशर्ते कि बर्खास्तगी बर्खास्तगी या सजा के रूप में सेवा से हटाने के रूप में न हो।

(II) एक अधिकारी को देय उपदान की राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन होगी, जो अधिकतम 15 महीने के वेतन के अधीन होगी।

बशर्ते कि जहां एक अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, वह तीस वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए महीने के वेतन के आधे की दर से अतिरिक्त राशि के लिए उपदान के रूप में पात्र होगा।

आधिकारिक भुगतान के मामले में उपदान के उद्देश्य से भुगतान का अर्थ केवल मूल वेतन होगा।ग्रेच्युटी की गणना करते समय, एक अधिकारी द्वारा निकाले गए पी. क्यू. ए. और एफ. पी. ए. के उस हिस्से को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो सेवानिवृत्ति लाभ के लिए रैंक करता है।

ध्यान दें:यदि सेवा के पूर्ण वर्षों से परे सेवा का अंश छह महीने या उससे अधिक है, तो उस अवधि के लिए उपदान का भुगतान आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

211

ज्योतिर्मय राय बनाम फील्ड जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक [जे. के. माहेश्वरी, जे.] 212

इस संबंध में, हमें यह स्पष्ट करना होगा कि उपदान की गणना करने के उद्देश्य से, 6 महीने की अवधि से परे दिनों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ग्रेच्युटी अधिनियम, 1979 विनियमों और परिपत्र के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रेच्युटी प्रत्येक अधिकारी को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या इस्तीफे पर देय हो जाएगी, सिवाय किसी अन्य तरीके से सेवा की समाप्ति के मामले में, 10 साल की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद सजा के रूप में।

21. इस स्तर पर, 1977 के विनियमों के प्रावधानों को संदर्भित करना प्रासंगिक है।उक्त विनियमों के विनियम 4 में प्रमुख दंडों को निर्दिष्ट किया गया है:-

"प्रमुख दंड:

(च)।

(जी)।

(ज) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(i) सेवा से हटाना जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य नहीं होगा;

(जे) बर्खास्तगी जो आम तौर पर भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य होगी। "

"प्रमुख दंड" शीर्षक के अंतर्गत विनियमन 4 का स्पष्टीकरण कुछ ऐसी स्थितियों को निर्दिष्ट करता है जो इस विनियमन के अर्थ के भीतर दंड के बराबर नहीं होंगी।चूंकि वे शर्तें वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें संदर्भित नहीं किया जा रहा है।

22. 1977 के विनियमों के विनियम 4 अंतर्गत एक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति एक बड़ा जुर्माना है।उक्त परिपत्र के खंड 14 (1) (ए) में दिए गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है

कि बैंक में कम से कम 10 साल की सेवा के बाद समाप्ति के मामले में, यदि ऐसी समाप्ति बर्खास्तगी या निष्कासन के रूप में दंड के रूप में नहीं है, तो उपदान का भुगतान किया जा सकता है।उक्त स्पष्टीकरण में, एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी से इनकार, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रमुख दंड से ग्रस्त है, को शामिल नहीं किया गया है।इसलिए, उक्त परिपत्र के अंतर्गत स्पष्टीकरण के संदर्भ में 1979 के विनियमों के अंतर्गत अपीलार्थी को उपदान देय है।अन्यथा भी, यदि हम ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों को देखते हैं, तो नुकसान के मामले में ग्रेच्युटी को रोका जा सकता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

या इस तरह से होने वाली हानि या नियोक्ता से संबंधित संपत्ति का विनाश या अन्यथा जहां सेवा की समाप्ति दंगापूर्ण या अव्यवस्थित आचरण के कारण या नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक मामले के कारण है।

23. मामले के तथ्य अपीलार्थी के हिंसक व्यवहार या किसी आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता का मामला नहीं हैं।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जांच रिपोर्ट में भविष्य निधि के नियोक्ताओं के योगदान को जब्त करने के मुद्दे पर विचार करते समय, बैंक को नुकसान पहुंचाने या नुकसान की राशि की मात्रा निर्धारित करने के संबंध में कोई निर्णय दर्ज नहीं किया गया है।24. उपदान रोकने का आदेश पारित करते समय, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।इस संबंध में, यूको बैंक (उपरोक्त) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय प्रासंगिक है, जिसमें पूर्ण पीठ ने उपदान की जब्ती के मुद्दे पर विधिवत विचार किया है और उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरास को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"22. .....इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोप पत्र में 24 खातों का उल्लेख किया गया है जहां प्रत्यर्थी ने अपनी शक्तियों से परे या उचित प्रतिभूतियां प्राप्त किए बिना ऋण या अन्य वित्तीय समायोजन दिए थे।इससे पता चलता है कि कुछ खातों को ओवरड्रॉन किया गया था। इन खातों का संचालन भी संतोषजनक नहीं था।हालाँकि, क्या अपीलार्थी-बैंक को अंततः नुकसान हुआ और वास्तविक नुकसान क्या था, यह नहीं बताया गया है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी द्वारा की गई अनियमितताओं ने बैंक को इस तरह के नुकसान के लिए उजागर किया होगा।हालाँकि, यह वास्तव में बैंक द्वारा किए गए नुकसान से पूरी तरह से अलग है।यहां तक कि अगर कुछ खाते खराब हो जाते हैं और बैंक को चूक करने वाले पक्षों के खिलाफ उन खातों से संबंधित वसूली के लिए मुकदमा करना पड़ता है, तो भी यह स्वचालित रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि नुकसान/क्षति पर्याप्त हो गई है।यह संभव है कि बैंक उन कार्यवाहियों में पूरे पैसे की वसूली करने में सक्षम हो।वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं और क्या नुकसान वास्तव में पर्याप्त है या नहीं, यह आरोप पत्र या जांच रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं होता है।

23. यही कारण है कि अपीलकर्ता-बैंक का यह दायित्व था कि वह पर्याप्त नुकसान होने के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करे, यदि वह पर्याप्त हो गया है, तो उस नुकसान के विवरण के साथ स्वयं को कारण दर्शाएँ ताकि प्रतिवादी उसे पूरा कर सके।यह अंतिम क्रम में भी नहीं किया गया है।हालांकि 4 करोड़ का मानदेय दिया गया है, फिर भी

ज्योतिर्मय राय बनाम फील्ड जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

अंतिम क्रम में, यहां तक कि इसकी पुष्टि उसके विवरण देकर नहीं की जाती है।इसलिए, हमारी राय है कि ग्रेच्युटी को जब्त करते हुए कारणदर्शक नोटिस या पारित किए गए आदेश कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और इन्हें अलग रखा जाना चाहिए। "

25. वर्तमान मामले के तथ्यों में, उक्त निर्णय पूरी तरह से उस स्थिति को देखते हुए लागू होता है जिसमें जांच में नुकसान की मात्रा साबित नहीं हुई है।अन्यथा भी, उपदान जब्त करने का आदेश पारित करने से पहले, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।हम उक्त निर्णय में पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं और उसी को दोहराते हैं।

26.अपीलार्थी के वकील ने बी. आर. शर्मा (उपरोक्त) के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कर्मचारी का हिंसक व्यवहार साबित हुआ।हालाँकि, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है।इसी तरह, केनरा बैंक (उपरोक्त) के मामले में भी निर्भरता रखी गई थी, जिसमें केनरा बैंक के विनियमों के अनुसार, उपदान की राशि को नुकसान की सीमा तक रोके रखने की अनुमति थी।वर्तमान मामले के तथ्यों और बैंक के विनियमों और परिपत्र की सामग्री में, उक्त निर्णय अलग करने योग्य होने के कारण, इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से कहा है कि 1977 के विनियमों के अनुसार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति; सेवा से निष्कासन जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य नहीं होगा और बर्खास्तगी जो आम तौर पर भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य होगी, अलग और अलग दंड हैं।वर्तमान मामले में उपदान की जब्ती के अधिनियम की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में जब्ती के पहलू पर प्रावधान मौन हैं।बैंक के परिपत्र संख्या 1563 दिनांक आई. डी. 1 के अनुसार, हमारे विचार में, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को उलटने में गलती की।

27.इसलिए, 1977 के विनियमों, 1979 के विनियमों, दिनांकित परिपत्र (आई. डी. 1) और अभिलेख पर तथ्यों के समग्र दृष्टिकोण को लेते हुए, हमारा विचार है कि वर्तमान दीवानी अपील को अनुज्ञात जानी चाहिए।हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णयों को लागू करते हैं और खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को निर्धारित करते हैं।अपील की अनुज्ञात है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील अनुज्ञात ।

निधि जैन